like to thank him for helping out with this question because we are going to increase these extra expenses for administration, for salary component, for maintenance and other things because the patient load is increasing on one side. So we are going to do that.

मौतों के कारणों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण

***106. श्रीमती कमला मनहर:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में प्रतिवर्ष होने वाली 95 लाख मौतों में 75 प्रतिशत ऐसी मौतें होती हैं जिनमें बीमारी का पता नहीं लग पाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का आगामी कुछ वर्षों में मौतों के कारणों का पता लगाने तथा इस प्रयोजन के लिए समुचित निगरानी व्यवस्था किये जाने के लिये एक विशेष टास्क फोर्स द्वारा सर्वेक्षण कराने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे क्या हैं;

(घ) क्या सर्वेक्षण के लिये कोई विशेष टास्क फोर्स गठित कर दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसने अब तक कितनी प्रगति की है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा॰ अन्बूमणि रामदास): (क) से (ङ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

नागरिक पंजीकरण के अधीन मृत्यु के कारण के चिकित्सीय प्रमाणन को जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 10 (2) और 10 (3) के अधीन सांविधिक स्वरूप मिल गया है। इस उपबंध के अनुसार राज्य सरकारों से अपेक्षित है कि वे अधिनियम के अधीन उन अस्पतालों/क्षेत्रों को अधिसूचित करें जहां अस्पतालों में होने वाली प्रत्येक मौत के कारण को चिकित्सीय व्यवसायिकों द्वारा दर्ज किया जाना है। अब तक इस योजना को 27 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अधिसूचित किया गया है। यह योजना मुख्य रूप से सामान्य तौर पर शहरी क्षेत्रों में चुनिंदा अस्पतालों तक सीमित है। अधिनियम के अधीन पंजीकृत मौतों का अनुपात 50 प्रतिशत से कम है। 1999 के दौरान कुल पंजीकृत मौतों में से चिकित्सीय तौर पर प्रमाणित मौतों की प्रतिशतता वर्ष 1998 में 14.9% के मुकाबले 15.4% पाई गई जब कि शहरी पंजीकृत मौतों में से चिकित्सीय तौर पर पंजीकृत मौतों की प्रतिशतता 1999 में 41.3 प्रतिशत थी। चिकित्सीय तौर पर प्रमाणित मौतों का कम प्रतिशत मुख्य रूप से कुछ राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचना जारी न किया जाना और अधिसूचित अस्पतालों से रिटर्नों की प्राप्ति पर नियंत्रण रखने हेतु पर्याप्त अवसंरचना और कार्मिक शक्ति की अनुपलब्धता के कारण है।

चूंकि यह योजना अधिकांशत: उन मौतों को कवर करती है जो सामान्य रूप से शहरी क्षेत्रों में स्थित चुनिंदा चिकित्सीय संस्थाओं में हुई, इसलिए मौत के कारणों के संबंध में अखिल भारतीय अथवा राज्य स्तर के अनुमानों को संकलित करना व्यवहार्य नहीं है।

2. मौत के कारणों पर आंकड़ों के अन्तर को पाटने के लिए भारत के महापंजीयक ने 2004 से सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को कवर करते हुए नमूना पंजीयन पद्धति के एक अभिन्न घटक के रूप में वर्बल अटॉप्सी नीति लागू की है। वर्बल अटॉप्सी मृतक के नजदीकी रिश्तेदारों अथवा साथियों के साथ साक्षात्कार के जरिए उन अनेक घटनाओं, परिस्थितियों, रोग के लक्षणों और संकेतों, जिनसे मौत हुई, की जांच करना है। नमूना पंजीयन पद्धति से मौत के कारणों के संबंध में आंकड़ों के आधार पर तीन वर्षों के नमूना मौतों को एकत्र करके आवधिक रिपोर्टें नियमित आधार पर उपलब्ध की जाएगी। इसके अलावा, आयु और लिंग के अनुसार कारण विशिष्ट मृत्यु के संबंध में बेंचमार्क आंकड़े तैयार करने हेतु सभी राज्यों/संघों राज्य क्षेत्रों में 2001-03 की अवधि के नमूना पंजीयन पद्धति के आंकड़ों में मौतों की संख्या को एकत्र करके एक विशेष मृत्यु सर्वेक्षण किया गया है। फील्ड कार्य पहले ही पूरा कर लिया गया है और दो स्वतंत्र फीजिशियनों द्वारा मौत के कारणों का कार्य अलग-अलग किया जा रहा है। भारत के महापंजीयक कार्यालय द्वारा उपर्युक्त सर्वेक्षण के आधार पर मौत के कारणों के संबंध में पहली रिपोर्ट के 2006 के दौरान निकाले जाने की आशा है।

Survey to ascertain reasons of deaths

†*106. SHRIMATI KAMLA MANHAR: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that out of ninety five lakhs annual deaths in the country the disease causing the death remains undiagnosed in case of seventy-five per cent cases;

(b) if so, whether Government propose to conduct a survey by a special task force for ascertaining the reasons therefor as well as set up a proper monitoring system in this regard in the next few years;

(c) if so, the details thereof;

(d) whether the task force has been constituted; and

(e) if so, the progress made by it, so far?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (DR. ANBUMANI RAMADOSS):

(a) to (e) A statement is laid on the Table of the House

† Original notice of the question was received in Hindi.

Statement

Medical Certification of Cause of Death (MCCD) under the civil registration has got statutory backing under the section 10(2) and 10(3) of the Registration of Birth and Deaths Act, 1969. As per the provision, the State Governments are required to notify the hospitals/areas under the Act, wherein cause of each death occuring in hospitals is to be recorded by medical professionals. The scheme has been notified, so far, in 27 States/ UTs. The scheme is mainly confined to selected hospitals, generally in urban areas. The proportion of registered deaths under the Act is less than 50 per cent. The percentage of medically certified deaths to total registered deaths during 1999 was found to be 15.4% as compared to 14.9% in the year 1998 whereas the percentage of medically certified deaths to urban registered was 41.3% in 1999. The low percentage of medically certified deaths is mainly due to non-issuance of notification by some of the state governments, non-availability of adequate infrastruture and manpower to exercise the control over the receipt of returns from the notified hospitals.

Since the scheme covers mostly those deaths which occured in the selected medical institutions generally located in urban areas, as such, compilation of all India or State level estimates on causes of death is not feasible.

2. In order to fill up the data gaps on causes of death, the Registrar General of India has introduced Verbal Autopsy (VA) approach as an integral component of the Sample Registration System (SRS), covering all States / UTs both in rural and urban areas since 2004. Verbal autopsy is an investigation of chain of events, circumstances, symptoms and signs of illness leading to death through an interview of close relatives or associates of the deceased. Based on the data on causes of death from SRS, periodic reports would be made available on regular basis by pooling the sample deaths for three years. Further more, in order to develop bench-mark data on cause specific mortality by age and sex, a Special Survey of Death (SSD) has been conducted in all States/ UTs by pooling the deaths in Sample Registration System (SRS) for the period 2001-03. The fieldwork has already been completed and double assignment of cause of death by two independent physicians is in progress. The First report on causes of death based on above survey is expected to be brought out during 2006 by the Office of Registrar General, India.

श्रीमती कमला मनहर: धन्यवाद, सभापति महोदय। मैं मंत्री जी द्वारा दिए गए जवाब से संतुष्ट हूं, लेकिन एक सवाल पूछना चाहती हूं कि वर्ष 2004 में जो वर्बल आटोप्सी की नीति सभी राज्यों

और संघ राज्यों में लागू की गयी है, उस के कार्य में अभी तक क्या प्रगति हुई है? क्या सरकार उस कार्य से संतुष्ट है और क्या इस नीति को लागू करने में कोई कठिनाई तो नहीं आ रही है?

DR.ANBUMANI RAMDOSS: Sir, this erbal autopsy sample registration has been done by the Registrar General of India. This is a new system whereby in any death there has to be verbal autopsy in the system to know about the cause of death. All these years we have not known what are the causes of death and we find that we know only about 15 per cent of these deaths. We know the reason because they come to these institutions. So we are trying to find out a new method of what are the causes and how we could rectify this as a generalised planning for rthe entire nation. We are doing this and this is doing well. We have not got the report. This is an on-going process and by the end of this year or next year we will be getting the full report of that after that I will be able to answer that.

**107. [The questioner (Shri Gireesh Kumar Sanghi) was absent for answer vide page 39.]*

तापमान में परिवर्तन होने के कारण होने वाला फसलों का नुकसान

*108. **डा॰ कुमकुम राय:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या यह सच है कि चालू रबी सीजन के दौरान तापमान में हुए असामान्य बदलावों के कारण तिलहनों, दलहनों तथा सब्जियों की फसलों को 50 फीसदी से भी अधिक का नुकसान हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) किसानों की क्षतिपूर्ति के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

कृषि मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) अत्यधिक कम तापमान ने विशेष तौर पर दिस्मबर, 2005 के अन्तिम सप्ताह से जनवरी, 2006 के दूसरे सप्ताह तक कुछ उत्तरी राज्यों में सरसों, चना, अरहर और मटर तथा आलू जैसी कुछ फसलों को प्रभावित किया है। राज्यवार ब्यौरे निम्न प्रकार से हैं :—

राजस्थान सरसों के अनुमानित उत्पादन के लगभग 15.1% (6.78 लाख टन) की क्षति होने की सूचना मिली है।

हरियाणा कम तापमान के कारण राज्य में सरसों के अन्तर्गत 7.0 लाख हैक्टेयर में से लगभग 50% क्षेत्र और चने के अन्तर्गत 1.47 लाख हैक्टेयर में से 30% क्षेत्र के प्रभावित होने की सूचना मिली है।